

Date: December 29, 2020

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 517214

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Scrip Code: DIGISPICE

Sub.: Notice to Equity shareholders for transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) - Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company has sent notice to the shareholders who have not claimed or encashed their dividend for seven consecutive years and accordingly whose shares are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account as per the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (the 'Rules'). Further, as required under the said Rules, the Company has also published a Notice in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 29th December, 2020. A copy of the published notice is attached for your reference.

You are requested to kindly take the above on record and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully, For **DiGiSPICE Technologies Limited** (formerly Spice Mobility Limited)

Sd/-

M.R. Bothra

Vice President - Corporate Affairs & Company Secretary

Ph. No. 0120 - 5029101

Encl.: as above

Note: In view of the Guidelines issued by the stock exchanges for submission of the documents in the wake of CoVID-19 virus pandemic, this document is being submitted without signature of the aforesaid signatory i.e. with Sd/-.

DiGiSPICE Technologies Limited

(Formerly Spice Mobility Ltd.) **CIN** - L72900DL1986PLC330369

Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola District Centre, New Delhi 110025, Tel: +91 11 41251965

Corp. Office: Spice Global Knowledge Park, 19A & 19B, Sector-125, Noida-201301, Uttar Pradesh, India - Tel: +91 120 3355131

Email ID: Complianceofficer@smobility.in I Website: www.digispice.com

CIN: L72900DL1986PLC330369 Tel.: 011- 41251965; Email: complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares to IEPF

This notice is hereby given pursuant to the provisions Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time. The said Rules, inter-alia, contain provisions for transfer of all shares in the name of Investors Education and Protection Fund (IEPF) Account in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more. As per the aforesaid Rules, the Company will initiate action for transfer of the shares of those shareholders whose Dividend remained unclaimed/unpaid for more than 7 years (i.e. unpaid or unclaimed amount in respect of dividend for the financial year 2012-13) within 30 days from due date i.e. 29th March, 2021, without any further notice.

Please note that as per the abovementioned Rules, the Company would be issuing new Share Certificate in lieu of the Original Certificate(s) held by those shareholders for the purpose of transfer of the same to the Demat Account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Certificates will stand automatically cancelled and will have no existence thereafter.

The Company had served the individual notice to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to the said IEPF Account on its website www.digispice.com under the heading 'Investor

The shareholders may please note that details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of new Share Certificates for the purpose of transfer of shares to Demat Account of the IEPF Authority pursuant to the amended Rules.

The shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by the shareholders by making an online application to IEPF authority in Form IEPF - 5, as prescribed under the said Rules. In case the shareholders have any query on subject matter, they may contact M/s. MAS Service Limited, (RTA) at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020, Email id: info@masserv.com, Telephone No.: 011 - 26387281 or the Company Secretary of the Company at investors@digispice.com or at the above mentioned address of the Registered Office of the Company.

By Order of the Board For DiGiSPICE Technologies Limited (formerly Spice Mobility Limited) M.R. Bothra Vice President - Corporate

Affairs & Company Secretary

AICICI

PRUDENTIAL

MUTUAL FUND

Place: Delhi

Date: 28th December, 2020

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund)

Change in address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of Computer Age Management Services Limited (CAMS)

Investors/Unit holders are requested to note the change in address of the OPAT of CAMS, the Registrar and Transfer Agent of the Fund, as follows:

Old Address	New Address	Effective Date
CAMS SERVICE CENTRE,	CAMS SERVICE CENTRE,	
Krishna, 1st Floor	Ground Floor,	
Near Mahadev Cinema,	Gurudwara Road	
Dr R.P. Road,	Near Old Vijaya Bank,	
Bhagalpur - 812 002	Bhagalpur - 812 001	January 1, 2021
State: Bihar	State: Bihar	
Contact No.: 9264499905	Phone - 9264499905	
Email id:	Email id:	
camsblp@camsonline.com	camsblp@camsonline.com	

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID and KIM of the Schemes of the Fund, as amended from time to time.

All other provisions of the SID and KIM except as specifically modified herein above remain unchanged.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited Place : Mumbai

Date: December 28, 2020

No. 011/12/2020 To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness

Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ICICI PRUDENTIAL TO MUTUAL FUND

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Authorised Signatory

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-Addendum to Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of various schemes and Statement of Additional Information (SAI) of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund) Notice is hereby given that Mr. Rajen Kotak has been designated as the Investor

Relations Officer and a Key Personnel of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC), with effect from December 23, 2020.

The following details of Mr. Rajen Kotak shall be included in the SAI of the Fund:

Name/Designation	Age/Qualification	Brief Experience
Mr. Rajen Kotak – Investor Relations Officer	37/PGDM	Mr. Rajen Kotak has a post graduate diploma in Business Management and has 14 years of work experience in the financial services industry. He joined the AMC in July 2010 and has been a part of Branch Relationship Team.

The address and contact details of Mr. Rajen Kotak are as follows:

2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon,

Mumbai - 400 063

financialexp.epaprain

Tel No.: 022 26852000, Fax No.: 022-2686 8313 E-mail: enquiry@icicipruamc.com

The above provision will be in force till further notice. Investors are requested to make a note of these changes. All the other provisions of the SID/KIM/SAI except as specifically modified herein

above remain unchanged.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SID/KIM/SAI of the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund, as amended from time to time.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited Place: Mumbai

Date: December 28, 2020 **Authorised Signatory** No. 010/12/2020

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

TUESDAY, DECEMBER 29, 2020



T.V. TODAY NETWORK LIMITED

CIN: L92200DL1999PLC103001 Website: www.aaitak.intodav.in Regd. Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001 Telephone: 0120-4807100 Fax: 0120-4807172 Email: investors@aajtak.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 5, 2021 inter alia to consider and approve the standalone & consolidated unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ending December 31, 2020.

Place: New Delhi

Date: December 28, 2020

Notice may

For T.V. Today Network Limited (Ashish Sabharwal)

Group Head-Secretarial & Company Secretary Membership No.: F4991

Company's website: also be accessed on

www.aajtak.intoday.in and on Stock Exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com.

MUTUAL

MUTUAL FUND

Investment Manager: Indiabulls Asset Management Co. Ltd. (AMC) Registered Office: M - 62 & 63, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001. Tel.: (011) - 30252900, Fax: (011) - 30252901, Website: www.indiabullsamc.com CIN: U65991DL2008PLC176627

Notice cum Addendum No. 22/ 2020

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID), Key Information Memorandum (KIM) of all the below Schemes and Statement of Additional Information (SAI) of Indiabulls Mutual Fund (IBMF) CESSATION OF KEY PERSONNEL OF THE AMC:

Notice is hereby given Mr. Harsh Shah ceases to be the Chief Dealer - Equity (Key Personnel) of Indiabulls Asset Management Co. Ltd. (AMC) w.e.f. closing business hours of Thursday, December 24, 2020. Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID, KIM of all the Schemes & SAI of IBMF. All other terms

and conditions as mentioned in the SID, KIM of all the above mentioned Schemes & SAI shall remain unchanged. As per the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their email id and mobile number

For Indiabulls Asset Management Co. Ltd. (Investment Manager to Indiabulls Mutual Fund)

with us to support paper less communications.

Uday Diwale

Compliance Officer

: December 28, 2020 Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

: Mumbai



TRUST Asset Management Private Limited CIN: U65929MH2017PTC302677

Regd. Office: 801, 8th Floor, G - Block, Naman Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

Phone: 022 - 6274 6000: 1800 267 7878 (Toll-Free No.) | E-mail: info@trustmf.com | Website: www.trustmf.com Notice cum Addendum No. 1 / 2020

NOTICE is hereby given that the following changes shall be made in the Scheme Information Document ("SID") and Key Information Memorandum ("KIM") of TRUSTMF Banking & PSU Debt Fund ("the scheme") Modifications in the cut-off timing related to Applicability of NAV for purchase / switch-in

Pursuant to the SEBI circular No SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2020/175 dated September 17, 2020,

the principle of aggregation for subscription amount beyond ₹ 2 lakh (for determining the applicable NAV) shall be discontinued and allotment shall be done based on the principle of funds available for utilization irrespective of the size and time of receipt of such application. The same is effective from January 1, 2021.

Revised provision in the para titled "APPLICABLE NAV FOR SUBSCRIPTIONS / PURCHASE INCLUDING SWITCH-IN OF UNITS" is as follows:

- Where the application is received up to 3.00 pm with a local cheque or demand draft payable at par at the place where it is received - closing NAV of the day on which the application is
- Where the application is received after 3.00 pm with a local cheque or demand draft payable at par at the place where it is received - closing NAV of the next business day; and
- Where the application is received with a cheque or demand draft which is not payable on par at the place where it is received - closing NAV of day on which the cheque or demand draft is credited before the cut off.

The reference to the concept of aggregation of ₹ 2 lacs, wherever appearing the SID & KIM of the scheme relating to the Uniform Cut-off stands deleted to this extent.

II. Modification in the para related to the explanation of 'Segregation of Portfolio':

In order to explain the concept of the Segregation of Portfolio and illustration has been mentioned in the SID. The said illustration is now being simplified in order to make it more investor-friendly. The relevant paragraph is now being replaced with the below mentioned details:

Illustration on Segregated Portfolio:

An illustration in tabular form explains how a security affected by a credit event will be segregated and its impact on investors. Whether the distressed security is held in the original portfolio or the segregated portfolio, the value of the investors' holdings will remain the same on the date of the credit event. Over time, the NAVs of the portfolios are subject to change.

Key Assumptions: We have assumed a scheme holds 4 securities (A1, A2, A3 & A4) in its portfolio. It has two investors with 5,000 units. (Investor 1 - 3,000 units, Investor 2 - 2,000 units). Total Portfolio Value of ₹ 40 Lakhs (Each security invested is valued at ₹ 10 Lakh).

Current NAV: 40,00,000/5,000 = ₹ 800 per unit. Suppose Security A4 is downgraded to below investment grade and consequently the value of the security falls from ₹ 10,00,000 to ₹ 2,00,000 and the AMC decides to segregate the security into a new portfolio. Investors will be allotted the same number of units in the segregated portfolio as they hold in the main portfolio. So, Investor 1 will get 3,000 Units and Investor 2 will get 2,000 units in the segregated portfolio.

With segregation, the portfolio value is ₹ 32,00,000 (Now A1, A2 & A3 Securities worth ₹ 30 Lakh and Security A4, which has fallen from ₹ 10,00,000 to ₹ 2,00,000).

Particulars	Main Portfolio (Security A1, A2 & A3)	Segregated Portfolio (Security A4)
Net Assets	₹ 30,00,000	₹ 2,00,000
Number of Units	5,000	5,000
NAV Per unit	₹ 30,00,000/5,000 = ₹ 600	₹ 2,00,000/5,000 = ₹ 40

Investor 1

Investor 2

Place: Mumbai

Date: December 28, 2020

Place: Jaipur

New Delhi

With Respect to Investors: **Particulars**

Units held in the main portfolio	3,000	2,000
NAV of the main portfolio	₹ 600 per unit	₹ 600 per unit
Value of holding in main portfolio (X) in ₹	18,00,000	12,00,000
Units held in segregated portfolio	3,000	2,000
NAV of Segregated Portfolio	₹ 40	₹ 40
Value of holding in segregated portfolio (Y) in ₹	1,20,000	80,000
Total Value of holding (X) + (Y) in ₹	19,20,000	12,80,000

A4 would be: NAV per unit =

Net Assets of the portfolio ₹ 32,00,000	No. of Units 5,000	32,00,000 / 5,000 = ₹ 640
Particulars	Investor 1	Investor 2
Units held in the Original Portfolio (No. of units)	3,000	2,000
NAV of the Main portfolio	₹ 640 per unit	₹ 640 per unit
Value of Holding in the Main portfolio (X) in ₹	19,20,000	12,80,000

above mentioned Scheme. Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID & KIM of the scheme read

with the addenda issued thereunder. All other terms and conditions mentioned in the SID & KIM remain unchanged. For TRUST Asset Management Private Limited

(Investment Manager to TRUST Mutual Fund) Sd/-

Mutual Fund investments are subject to market risks,

Authorised Signatory

read all scheme related documents carefully.

FINANCIAL EXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Sebi plans to rope in agency to trace accused entities

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, December 28

16

MARKETS REGULATOR SEBI is looking to rope in an independent agency that will trace accused entities against whom notices have been issued by the authorities, and serve summons

to them.

The work is expected to be carried out by engaging systems through competent manpower such as ex-servicemen, ex-police personnel, investigators, detectives and alike. In a notice issued on Monday, the regulator invited applications for empanelment of an agency for providing such services.

includes tracing of accused entity based on records and addresses provided by the regulator and serving of summons or notices issued by the Sebi's special courts and Sebi authorities on behalf of the regulator. Further, the agency would

The scope of the work

undertake tours to trace the whereabouts of the accused The scope of its work also includes serving of summons issued by the Sebi's special courts and Sebi authorities

(including absconding) across India, wherever the lead takes them, and for service of the summons and warrant with prior approval of the concerned officer of Sebi. Also, the agency would be required to coordinate with the local police stations for serving or tracing for the purpose of serving of summons, warrants and notices.

After serving of summons upon the accused, Sebi said the agency would have to take acknowledgement of the same and submit to the regulator for necessary action.

"In case of execution of bailable/non-bailable arrest warrants, help of the concerned police station is required, which would require regular liaision ing with the police," Sebi said.

Mother's plea against son Lalit Modi's Singapore arbitration maintainable: HC THE DELHI HIGH Court has the jurisdiction to adjudicate

held that it has the jurisdiction to decide a plea by late industrialist KK Modi's wife challenging her son Lalit Modi's move to initiate arbitration proceedings in Singapore over property dispute of the family. A bench of Justices Siddharth Mridul and Talwant

Singh set aside the judgment

of a single-judge of the HC,

which had said it does not have

the anti-arbitration injunction suits filed by Lalit Modi's mother Bina, his sister Charu and brother Samir and they are open to take such pleas before the arbitral tribunal in Singapore. The single judge had said

that an anti-arbitration injunction suit does not lie, so the pleas are not maintainable, and dismissed.



E-Tender Notice (Open Tender Enquiry for Domestic Bidding) RESOURCE PLANNING DEPARTMENT Tender Enquiry No: NMDC / RP /FMS/ 2020 / 02 Dated: 29.12.2020 (MSTC Ref.No.:NMDC / HO / 77/ 20-21 /ET / 707)

NMDC invites bids in e-tender mode on MSTC website (NMDC's e-tender service provider): http://mstcecommerce.com for the work of "Implementation of Fleet Management System at BIOM-Bacheli Complex and BIOM-Kirandul Complex

For viewing / downloading the schedule of e-bidding and the detailed NIT along with prequalification requirements and tender document, prospective bidders may visit MSTC website link: https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc/ and register on-line as 'New Vendor'. For further help, the "Vendor Guide' given therein may be referred. Link to MSTC e-tender platform is also available through NMDC website www.nmdc.co.in. The tender documents can also be accessed from NMDC website www.nmdc.co.in and CPP Portal http://eprocure.gov.in

Any corrigendum to the tender will be uploaded only in above mentioned websites. Prospective bidders should visit these websites from time to time to take note of

For further clarification, CGM(RP), NMDC Ltd., Hyderabad can be contacted on Fax: 040-23536760, Tel: 040-2353 8778, email: horp_fms@nmdc.co.in



निपद— सहारनपुर, अनुपशहर जनपद—बुलन्दशहर, कायमगंज जनपद—फर्रूखाबाद, घोसी जनपद-क. नानपारा जनपद—बहराईच. सठियावं जनपद—आजमगढ तथा रनेहरोड. जनपद—बिजनौर में शीर रिवहन तथा उक्त आसवनियों से उ०प्र०. उत्तराखण्ड. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व राजस्थान, मध्य **प्रदेश, बिहार के विभिन्न तेल खिपों तक इथेनाल परिवहन हेत्** जो (5 टैंकर का स्वामित्व एवं 5 टैंकर की ागीदारी को मिलाकर) कम से कम 10 टैंकरों की अईता प्रत्येक **परिवहन कार्य हेत पथक-पथक** रखत तथा विभिन्न चीनी मिलों से आसवनियों अथवा केमिकल उद्योग तक शीरा / इथेनाल / अल्कोहल **ारियहन** का विगत तीन वर्षों के अनुभवी ट्रांसपोर्टरों से "ऑन लाइन" ई–विडिंग आमंत्रित की जाती है गीरा परिवहन हेत् कम से कम दो आसवनियों हेत् निविदा देना अनिवार्य हैं। ई-विडिंग प्रस्तुत करने किनीकी बिड खोले जाने की तिथि निम्नानुसार है-

ई-निविदा सबमिशन की ई-निविदा खलने

उ०प्र० की विभिन्न सहकारी चीनी मिलों से आसवनी इकाई, सम्पूर्णानगर जनपद— खीरी, ननौत

ई0एम0डी0

प्रबन्ध निदेशक

की तिथि व समय अन्तिम तिथि व समय शीरा परिवहन हेतु | 19.01.2021 | 6.55 पीएम | 20.01.2021 | 11.00 ए.एम. | रू. 1.00लाख प्रति आसवनी इथेनाल परिवहन हेतु | 20.01.2021 | 6.55 पीएम | 21.01.2021 | 11.00 ए.एम. | रू. 1.00लाख प्रति आसवनी ई—विड भरने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ई—टेन्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in) एवं संघ की वे साईट www.upsugarfed.org पर **दिनांक 29.12.2020** से उपलब्ध रहेगी। परिवहन कार्य हेत् परिवहन कर्ता को सर्वप्रथम ई–टेन्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर प्रक्रिया अनुसार रजिस्ट्रेशन करान होगा | ई—विंड कास्ट शीरा परिवहन हेत् रूठ 2000 / — +18 प्र.श. जी.एस.टी. **प्रति दो आसवनियों हेत् व इथेनाल** परिवहन हेत् रु० २००० / - +18 प्र.श. जी.एस.टी. प्रति आसवनी (नान रिफन्डेबल)। प्रबन्ध नेदेशक संघ को एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित

Nandani

UPSUGARFED/7420/GM/AT/117 , Dt. 28.12.2020

NANDANI CREATION LIMITED Regd. Office: G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006 Phone: 0141-4037596, CIN: L18101RJ2012PLC037976

Web-site: www.nandanicreation.com. e-mail:info@iaipurkurti.com. cs@iaipurkurti.com NOTICE OF 1ST EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING IN THE F.Y. 2020-21 NOTICE is hereby given that 1. The 1st Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") for the F.Y. 2020-21 of the members of the

Company will be held on Wednesday, 20th January, 2021 at 4:00 P.M. IST through Video Conferencing (VC) or any other audio visual means (OAVM) to transact the business as set forth in the Notice of EOGM dated 23rd December, 2020. Through Extra Ordinary General Meeting, resolutions related to following matters will be passed: a) Conversion of Unsecured Loan into Equity Shares on Preferential basis;

2. Electronic copies of the Notice of the EOGM have been sent to all the Members whose email id is registered with the Company/Depository Participant(s). The EOGM will be convened in compliance

with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder ("the Act") provisions of SEBI (LODR) Regulations and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI. In compliance with the provisions of Act, the Notice of EOGM has only been sent through E mail and the physical notice through post has not been sent to the members. The same has been completed on Monday, 28th December, 2020;

Members whose E mail id is not registered are requested to register their E mail Id's and phone numbers with the Company by sending request to the company or Bigshare Services Pvt. Ltd., the Registrar and Share Transfer Agents, for receiving the Notice of EOGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on cut-off date i.e.

Wednesday, 13th January, 2021 may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the EOGM through remote e-voting system of CDSL from a place other than venue of the EOGM ("Remote E-Voting"). The Detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the EOGM. All the members are informed that: 1. The Businesses as set forth in the Notice of the EOGM may be transacted through voting by electronic means only;

The remote e-voting period shall commence on Saturday, 16th January, 2021 (10.00 A.M. The remote e-voting period shall end on Tuesday, 19th January, 2021 (5.00 P.M. IST);

The Cut-Off Date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the EOGM is Wednesday, 13th January, 2021; E-Voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. IST on Tuesday, 19th January, 2021; Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company

Wednesday, 13th January, 2021 may obtain the login id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for evoting then existing user ID and password can be used for casting vote; VII. Members may note that (a) The Remote E-voting module will be disabled by CDSL beyond 05:00 P.M. IST on Tuesday, 19th January, 2021 and once the vote on a resolution is cast by a

after the dispatch of the Notice of the EOGM and holds shares as on the cut-off date i.e.

member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the facility for E-voting will also be made available at the EOGM; (c) the manner of the same have been mentioned in the notes of the notice of the EOGM: VIII. The Notice of EOGM is available on the Company's website www.nandanicreation.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com and on National Stock Exchange of India

Limited (NSE) viz. www.nseindia.com; In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of

www.evotingindia.com or contact Ms. Gunjan Jain, Company Secretary & Compliance Officer,

Nandani Creation Limited, G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006

(Rajasthan), Contact: 0141-4037596 E-Mail: info@jaipurkurti.com.cs@jaipurkurti.com.

FOR NANDANI CREATION LIMITED Sd/- Gunjan Jain

Date: 29.12.2020

Company Secretary

सना प्रमुख जनरल नरवणे तीन दिन के दौरे पर दक्षिण कोरिया खाना

जनसत्ता ब्यूरी नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सोमवार को तीन दिन की दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी इस यात्रा के दौरान वह द्विपक्षीय सैन्य सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर कोरियाई देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों से वार्ता करेंगे।

सैन्य अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कोरिया भारत को सैन्य सामान और हथियारों की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है। सेना प्रमुख करीब दो हफ्ते पहले संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की छह दिवसीय अहम यात्रा पर गए थे। उनकी यह यात्रा खाड़ी के दो प्रभावशाली देशों के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक संबंधों को दिखाती है। अधिकारियों ने

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय

मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि 27 सितंबर

को कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजुरी मिलने के

बाद, बिहार चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए

उपचुनावों व स्थानीय चुनावों में भाजपा की जीत

दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रधानमंत्री

उन्होंने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता

सम्मेलन में दावा किया कि कांग्रेस यह भ्रम पैदा करने

राम मंदिर के लिए तमिलनाडु

में धन जुटाने का अभियान

चलाएगी विहिप

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए धन

जुटाने के उद्देश्य से विश्व हिंदु परिषद (विहिप) ने

देश भर में 15 जनवरी से व्यापक संपर्क कार्यक्रम

शुरू करने का फैसला किया है। परिषद के एक शीर्ष

संवाददाताओं को बताया कि मकर संक्रांति पर शुरू

हो रहे कार्यक्रम के जरिए परिषद भक्तों को

जानकारी देने और उनसे दान लेने के लिए चार

लाख गावों में 11 करोड परिवारों से संपर्क करेगी

जिससे वे भी राम मंदिर निर्माण में हिस्सा ले सकें।

उन्होंने कहा कि विहिप ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ

क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर भक्तों से दान संग्रह के

काम की जिम्मेदारी ली है और इसमें करीब एक

दौरान 10 हजार गांवों में 50 लाख परिवारों से संपर्क

किया जाएगा और 5000 शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों

में करीब 90 हजार स्वयंसेवक जाएंगे। परांदे नेकहा

कि मंदिर 360 फुट लंबा, 235 फुट चौड़ा और 161

फुट की ऊंचाई वाला होगा जिसमें तीन मंजिलें और

पांच शिखर होंगे। उनके मुताबिक इसे ढाई से तीन वर्षों

उच्चतम न्यायालय का

नया रोस्टर जारी

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पीठ के समक्ष मुकदमे सूचीबद्ध करने

के लिए सोमवार को नए रोस्टर की घोषणा की जोकि शीतकालीन

अवकाश के बाद आगामी चार जनवरी से प्रभावी होगा। नए रोस्टर के

मताबिक, प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और सात वरिष्ठ न्यायाधीश

अब जनहित याचिकाओं, पत्र याचिकाओं और सामाजिक न्याय संबंधी

प्रधान न्यायाधीश के अलावा वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी

रमण, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एएम

खानविल्कर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव जनहित याचिकाओं और सामाजिक न्याय

संबंधी मामलों की सुनवाई करेंगे। जनहित याचिकाओं के अलावा प्रधान

न्यायाधीश अवमानना के मामलों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक न्याय

और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले समेत अन्य मामलों की

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कार्यक्रम के

विहिप के महासचिव मिलिंद परांदे ने

पदाधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

कोयंबदूर, 28 दिसंबर (भाषा)।

लाख स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे

में पुरा किया जाएगा।

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

मामलों की सुनवाई करेंगे।

सुनवाई करेंगे।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है।

बताया कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में जनरल नरवणे का देश के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मिलने का कार्यक्रम है।

जनरल नरवणे दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद योजना प्रशासन (डीएपीए) मंत्री से भी मिलेंगे। सेना ने एक बयान में बताया कि सेना प्रमुख भारत-कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे। सेना प्रमुख नरवणे गैंगवॉन प्रांत में कोरिया के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर और डेयजोन में एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट (एडीडी) का भी दौरा

जनरल नरवणे पिछले महीने तीन दिन की नेपाल यात्रा पर और अक्तूबर में सेना प्रमुख विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला के साथ म्यांमा की यात्रा पर गए थे।

हाल के चुनावों में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री

लोग भाजपा के विरुद्ध हैं।

ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की।

का प्रयास कर रही है कि देश के ग्रामीण भागों में

उपयुक्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयकों को मंजूरी दी

थी, तब से लेकर 22 दिसंबर तक भाजपा ने बिहार में

विधानसभा चुनाव व 11 राज्यों में उपचुनाव जीते जबिक

उसने आठ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों में अधिक

सीटें जीतीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में

22 दिसंबर को हए स्थानीय निकाय चनाव में भाजपा ने

जिला पंचायत की 242 में से 187 सीटें जीतीं, 6,450

ईरानी ने कहा कि लोगों ने इन चुनावों में कांग्रेस को

पर जनविश्वास दर्शाती है : ईरानी

महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एंजिसियों का इस्तेमाल: राउत

मुंबई, 28 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट में उद्भव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत की पत्नी को एक मामले में तलब किया है, जिसके बाद संजय राउत ने केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणी की है। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेताओं के पास कांग्रेस और राकांपा के 22 विधायकों की सूची है, जिनके बारे में दावा था कि केंद्रीय जांच एजंसियों के दबाव में वे इस्तीफा दे देंगे।' शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस घटक है।

राउत ने कहा, 'भाजपा के कुछ नेता पिछले एक साल से मुझसे संपर्क कर कह रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट सरकार को अस्थिर करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। वे मुझपर दबाव बना रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं।' राउत ने कहा, 'उन्होंने (भाजपा नेताओं ने) मुझसे कहा कि उनके पास कांग्रेस और राकांपा के 22 विधायकों की सुची है जो कि केंद्रीय जांच एजंसियों के दबाव में इस्तीफा दे देंगे।' राउत ने कहा कि वह बालासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं और भाजपा नेताओं की पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा, 'उन सबको नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह देश छोड़कर भागना पड़ेगा।' राउत ने दावा किया कि उनके पास भाजपा के 120 नेताओं की सची है जिनके खिलाफ धनशोधन मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए। अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि प्रवर्तन निर्देशालय

ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धनशोधन मामले में पृछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है।

डाक विभाग

भारत के राष्ट्रपति की ओर से

कार्यपालक अभियंता (ई), डाक विद्युत

प्रभाग, दसवाँ तल, मेघदुत भवन, नई

दिल्ली-110001 द्वारा निम्न कार्यों के

लिये दो बोली प्रणाली में प्रतिशत दर ई-

कार्य का नामः दिल्ली आरएमएस, दिल्ली

में 2000 क्रि.ग्रा. की क्षमता के

एनआईटी सं.: 70/ईई/पीईडी/एनडी

मालवाहक लिफ्ट का एसआईटीसी:

अनुमानित लागतः रु. 36,97,500/-

बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं

समयः 12.01.2021 के 15.00 बजे तक

बोली प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाईट

https://dopcivil.euniwizarde.com

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.)

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक

के समझ (उत्तरी क्षेत्र) बी-2 विंग, द्वितीय तल,

ार्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30

के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

नेसर्स इकाशी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड ("कंपनी")

जिसका पंजीकत कार्यालय : 4347, फर्स्ट पलोर गली न

4सी अंसारी रोड नई दिल्ली सेन्ट्रल दिल्ली—110002 में

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की

वारा 13 के अधीन आवेदन दाखल का प्रस्ताव करती है

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली' से 'तेलंगाना राज्य' में स्थानांतरित करने

के लिए तारीख 18 नवम्बर, 2020 को आयोजित

असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के

संदर्भ में कंपनी के संगम जपान में संशोधन की पुष्टि की

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से

इदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर

(मसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत

दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित

ठा प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो

पूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर

1-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ

कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक

दवारा भेज सकते है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी

प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत

मेसर्स इकाशी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड

पता : हाऊस नं. 24 रामवाड़ी, नंदुरा रोड,

सीआई एन : U67100DL2020PTC360800

ईमेल आईसी : Contact@finnovationz.com

मलकापुर, बुलढाणा महाराष्ट्र 443101

मेसर्स इकाशी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : 4347 फर्स्ट पलोर गली नं. 4सी अंसारी रोड नई दिल्ली

हरता. /

श्री प्रसाद राजेंद्र लेंडवे

(क्षीआईएन : 07723822)

सेन्टल दिल्ली- 110002

फोन नं. +91 8055050710

कार्यालय के पते पर भी भेजेंगे।

साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निर्देशक को इस

से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा आमंत्रित है।

/एनआईटी/2020-21

28.12.2020

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष नई दिल्ली पीठ नई दिल्ली कंपनी आवेदन सं. सीए-722 (एनडी) ऑफ 2020 से संबंधित कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 108 (एनबी) ऑफ 2020 कंपनीज अधिनियम, 2013 के मामले में:

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 - 232 और कंपनीज अधिनियम, 2013 के अन्य लाग् प्रावधानों के मामले में

दिनेरो प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ईंडन रियेल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एप्सलॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, आइवी इंफ्रास्ट्रक्वर प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉट लाइट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और हिम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरघारकों एवं लेनदारों के बीच

समामेलन की योजना के मामले में दिनेशे प्रोपबिस्ड प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय एस–557, तीसरा फ्लोर, स्कूल ब्लॉक शकर पुर, निवर मेट्टो स्टेशन दिल्ली -110092 में स्थित है।)

..... हस्तांतरणकर्ता / आवेदक कंपनी गंध 1 **ईंडन रियेल्टी प्राइयेट सिमिटेड**, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय यूजी-11ए, सोमदत्त वैंबर्स-15 भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066 मे

हस्तांतरणकर्ता / आवेदक कंपनी गंध 2 एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड. (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय बी-304, तीसरा पलोर, अंसल चैंबर्स-1, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 में स्थित है।)

एम्सलॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय केबिन नंबर-17, पहला फ्लोर, 86 मुनीरिका ग्राम, नई दिल्ली -110067 में रिधत है।) हस्तांतरणकर्ता / आवेदक कंपनी नं8 4

..... हस्तांतरणकर्ता / आवेदक कंपनी नं० 3

आइवी इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड (यह कंपनी कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय यूजी-11ए, सोमदत्त चैंबर्स-1 मीकाजीकामा प्लेस नई दिल्ली -110066 में स्थित है।) हस्तांतरणकर्ता / आवेदक कंपनी नंव 5

त्पॉट लाइट सिक्वोरिटीज प्राइबेट लिमिटेड (यह कंपनी) कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय यूजी–11ए सोमदत्त चैंबर्रा-1 5 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में स्थित है।) हस्तांतरणकर्ता / आवेदक कंपनी नं0 6

हिम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय बी–304, तीसरा फ्लोर, अंसल चैंबर्स–1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में स्थित है।)

..... हस्तांतस्ति / आवेदक कंपनी नंव 7 एलिस इविवटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्किटी शेयरधारकों की बैठक की जानकारी की

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली में स्थित, ने अपने आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के साथ पठित 11 नवम्बर, 2020 के माध्यम से दिनेरो प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ईंडन रियेल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एप्सलॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, आइवी इंफ्रास्ट्रक्वर प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉट लाइट सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और हिम रियल्टी प्राइवेट लिगिटेड तथा उनके संबंधित शेयर धारकों एवं लेनदारों के बीव समामेलन की योजना में शामिल प्रस्तावित मर्जर पर विचार करने, और यदि जरूरी हुआ, तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के लिए हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के इक्विटी शेयरवारकों की एक बैठक आयोजित करने के

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आगे एतद्द्वारा सुवित किया जाता है कि आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के इनिवटी शेयरघारकों की बैठक शनिवार, 30 जनवरी, 2021 को दोपहर 01:00 बजे आवेदक कंपनी नंत 3 के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसके लिए आवेदक हरतांतरणकर्ता कंपनी सं. 3 के संबंधित इक्किटी शेयरघारकों को उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

निर्देश दिये हैं।

कथित योजना की प्रतियां और कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत विवरण आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के पंजीकृत कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। बैठक में माग लेने और वोट देने का पात्र व्यक्ति कथित बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या ढाक मतपत्र के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप में सभी प्रॉक्सी फार्म आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जमा कर दिया गया हो।

प्रॉक्सी फार्म आवेदक हरतांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिकरण ने कथित शेयरधारकों की बैठक के लिए श्री हिमांश विज, अधिवक्ता अध्यक्ष और सुश्री स्वरालिपि रॉय, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त वर्णित योजना, यदि इक्विटी शेयर धारकों की बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह अधिकरण के अनुवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23.12.2020 एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

शेयरबारकों की बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्त

हिमांशु विज अधिवक्ता व्यावेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंठ. ३ के इविवटी पर्यावरण मंज्री की सिफारिश की गई

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति ने सरकार की महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजुरी देने की सिफारिश की है, लेकिन निर्देश दिया है कि इसके डेवलेपरोंह्न को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा संरचनाओं को ढहाए जाने के दौरान कोई वाय प्रदुषण न हो।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ ही यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी (ईसी) पाने के और करीब आ गई है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने यह निर्णय 17 दिसंबर को हुई एक बैठक में लिया, जिसका विवरण सोमवार को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, एसपीजी बिल्डिंग और उपराष्ट्रपति के एनक्लेव के साथ-साथ साझा केंद्रीय सचिवालय इमारत और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर का विकास या पुनर्विकास शामिल है।

इसने अनुमानित परियोजना लागत को 11,794 करोड रुपए से संशोधित करके 13,450 करोड़ रुपए

(एलएलपी (एलएलपी का गतन) नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसरण में) एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय की एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन **सूचना** कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं

हरियाणा ४ फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3)

के नियम 17 के मामले में बोटो स्मार्ट कनेक्ट एसएसपी जिसका पंजीकृत कार्यालय : पस्तोर नंबर 21, द पाम्स अपार्टमेंट द्वारका, सेक्टर 6, दिल्ली, साख्य वेस्ट

और एलएलपी (एलएलपी का गठन) नियम, 2009

विल्ली - 110075 के मामले में आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत आवेदक एलएलपी द्वारा पदनामित साझेदारों द्वारा दी गई सहमति के संदर्भ में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से इरियाण राज्य में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने हेतू एलएलपी समझौते में संशोधन की पुष्ठि चाहने हेतु कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के कार्यालय

में एक सुबना दाखिल की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, यौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110029 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस (21) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय

में भी मेजी जानी चाहिए। कृते ओटो स्मार्ट कनेक्ट एसएसपी दिनांक : 26.12.2020 पदनामित साझेदार रीआईपीआईएन : 08584632 कर दिया है।

ई - प्रोक्योरमेन्ट सेल मुख्य अभियंता का कार्यालय,कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची ई-प्रोक्योरमेन्ट नोटिस

टेन्डर रेफरेन्स नं0-BCD/CE/13/Dhanabd/2020-21 दिनांक- 28-12-2020 Construction of Compound wall of Agriculture Farm Situated at Saraidhela कार्य का नाम under PMCH Dhanbad. रू० 4,35,88,300.00(रुपये चार करोड़ पैतीस लाख प्राक्कलित राशि (स0) अवठासी हजार तीन सौ)मात्र । कार्य पूर्ण करने की अवधि 11 महीने वेबसाइट पर निविदा 11-01-2021 प्रकाशन की तिथि बिड प्राप्ति के लिए अन्तिम 18-01-2021 के 11.00 AM तक तिथि / समय ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल निविदा प्रकाशित करने वाले मुख्य अभियंता का कार्यालय कार्यालय का नाम एवं पता कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची। प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का 9973708817 सम्पर्क संख्या ई-प्रोक्योरमेंट सेल का 9905899979 हेल्पलाईन संख्या

 किसी भी प्रकार का बदलाव http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है। • अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता Note: UCAN Registration is mandatory for the Bidders

नोडल पदाधिकारी ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल, मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, PR 238314 Building(20-21).D लाईन टैंक रोड, रांची

आस्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

kotak

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियमावली 8(5) के परन्तु के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तयों के प्रतिभृतिकरण एव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सीसीएफआईएल ने एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.06.2014 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) के पक्ष में ऋण एसाइन किया है और एतदद्वारा आम जनत तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिभृत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड अचल सम्पत्ति जिसका 19.10.2020 के केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है की, 25.12.2020 तक बैंक के बकाये रु. 90,96,315.65 (रुपये नब्बे लाख छियानबे हजार तीन सौ पन्द्रह एवं पैंसत पैसे मात्र) तथा वसूली तक भावी प्रयोज्य ब्याज सहित ऋण खाता सं. 15543802 के तहत श्री दिनेश चोटवानी पुत्र श्री कन्हैयाल लाल चोटवानी एवं श्रीमती विभा देवी चोटवार्न पत्नी श्री दिनेश चोटवानी से केएमबीएल, प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार प 22.01.2021 को 12.00 बजे अप. से 02.00 बजे अप. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सिंहत बिक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य रु. 27,00,000/- (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 2,70,000/- (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) होगी तथा केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 21.01.2021 को 7.00 बजे अप

सम्पत्ति का विवरण : मकान नं. 191 का सम्पर्ण भाग, माप 195.06 वर्ग मीटर, खसरा नं. 149/8, रामेश्वर पार्क, एक्सटेंशन कॉलोनी, ग्राम परगना लोनी, तहसील एवं जिल गाजियाबाद, उ.प्र., सम्पत्ति की सीमाएं : पर्व : प्लॉट सं, 190, पश्चिम : प्लॉट सं, 192, उत्तर : सर्विस लेन 12 फीट चौडी, दक्षिण : 40 फीट चौडी सडक जनसामान्य एवं विशेष रूप से कर्जदार ध्यान दें कि यदि यहाँ निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से असफल रहती है तो प्रतिभत लेनदार निजी सन्धि के माध्यम से प्रतिभति हित क

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसामान एवं विशेष रूप से कर्जदार ध्यान दें कि यदि यहाँ निर्धारित नीलामी किसी कारण से असफल हो जाती है तो तो प्रतिभृत क्रेडिटर निजी सन्धि के माध्यम से बिक्री द्वारा प्रतिभृति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के लिए रखी आस्तियों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण/वांछनीयता के लिए संविदाकार सम्पर्क करें : श्री राजेन्द्र दिहया (+918448264515), श्री आकाश सक्सेना (+918860001910) श्री सोमेश सुन्दरियाल (+919910563402) तथा श्री विवेक कनौजिया (+919205177091). बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात www.kotak.com तथा/अथवा https://kotakbank.auctiontiger.net में प्रावधानित लिंक https://www.kotak.com/en/bank- auctions.html देखें।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

DIGISPICE डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

(पूर्वतः स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः 622, 6ठा तल, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला डिस्ट्रक्ट सेंटर, नई दिल्ली -110025 सीआईएनः L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011—41251965, ईमेलः <u>complianceofficer@digispice.com</u> वेबसाइटः <u>www.digispice.com</u>

शेयरधारकों हेत् सूचना

इक्विटी शेयरों का आईइपीएफ में स्थानांतरण

यह सूचना विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016, यथा समय यथा संशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। उक्त नियम, अन्य विषयों के अतिरिक्त, ऐसे सभी शेयरों को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में खाते में हस्तांतरित करने के प्रावधान हैं जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भूगतान या दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों, जिनके लाभांश 7 वर्ष या इससे अधिक समय से अभूगतानित अथवा गैर दावाकृत हैं (अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 के लाभांश के संबंध में अभुगतानित अथवा गैर दावाकृत राशि) के शेयरों के हस्तांतरण हेत् नियत तिथि अर्थात् २९ मार्च २०२१ के अन्दर, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के कार्रवाई आरम्भ करेगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त नियमों के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरण के उद्देश्य से, उन शेयरधारकों द्वारा संघटित मुल प्रमाण पत्र(पत्रों) के बदले में नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। इस प्रकार निर्गत होने पर, मुल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रूप से रद्द हो जायेंगे तथा इसके पश्चात उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। कंपनी ने उन सभी सम्बद्ध शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर,

उक्त नियमों के अंतर्गत, आईडपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित होने वाले हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.digispice.com पर 'इन्वेस्टर रिलेशंस' शीर्षक के अंतर्गत उक्त आईइपीएफ खाते में स्थानांतरण होने वाले ऐसे शेयरधारकों और शेयरों का पुरा विवरण भी अपलोड किया है।

शेयरधारकों कृपया ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को, संशोधित नियमों के अनुसार, आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य हेतु नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैर दावाकृत लागांश तथा शेयर, ऐसे शेयरों पर

मिलने वाले सभी अर्जित लामों सहित, यदि कोई हो, को नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारकों द्वारा फॉर्म आईइपीएफ - 5 में ऑनलाइन आवेदन कर के आईइपीएफ प्राधिकरण से दावा किया जा सकता है।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में शेयरधारक, मेसर्स एमएएस सर्विस लिमिटेड, (आरटीए) टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- II, नई दिल्ली-110 020, ईमेल आईडी: info@masserv.com टेलीफोन नंबर: 011 - 26387281 या कंपनी के कंपनी सचिव से investors@digispice.com अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के उपर्युक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

> मंडल के आदेशानुसार कृते डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्वतः स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड)

एम आर बोथरा उपाध्यक्ष-कॉर्पोरेट मामलें एवं कंपनी सचिव

कार और मोटरसाइकिल की

पालनपुर (गुजरात), 28 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात के बनासकांठा जिले में भाभर गांव के पास एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य

रविवार रात को उस वक्त हुई जब कार एक मोड़ पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद पेड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार तीन लोग और कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। उपनिरीक्षक ने बताया, 'दुर्घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें दीसा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार दीसा जा रही थी जबकि मोटरसाइकिल सवार मीठा गांव की ओर जा रहा था। मरने वालों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी।

नागपुर, 28 दिसंबर (भाषा)।

1100 करोड रुपए का खर्च आने का अनुमान है, साढ़े तीन वर्षों में पुरा होने की उम्मीद है। यह जानकारी

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की आधारशिला के लिए ढांचा विशेषज्ञ और इंजीनियर मुख्य ढांचे के निर्माण पर 300 से 400 करोड़ रुपए '100 करोड़ रुपए से कम का खर्च नहीं आएगा।' संत ने कहा, 'लेकिन ये सब आकलन है।' गिरिजी महाराज आइआइटी बंबई, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी के विशेषज्ञ परिसर के मजबूत आधार की योजना तैयार कर रहे हैं।

स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने कहा कि मंदिर योजना बना रहे हैं। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के खर्च का अनुमान है जबकि पूरे परिसर के निर्माण पर ने कहा कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और तथा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की के विशेषज्ञ एवं एलएंडटी तथा टाटा समृह के इंजीनियर

राम मंदिर पर 1100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान: न्यास अधिकारी

अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण पर करीब जिसमें मुख्य ढांचे का खर्च भी शामिल है और इसके परियोजना की देखरेख कर रहे न्यास के कोषाध्यक्ष ने

सोमवार को दी।

उन्होंने कहाँ, 'मंदिर की आधारशिला के लिए दिए

गए विकल्पों पर कल की बैठक (न्यास के) में चर्चा होगी (और अंतिम चयन किया जाएगा)।'

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समाचार पत्रो में प्रकाशित होने

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम

इंजेटीम पॉवर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 431, फेज-III, उद्योग विहार, दूसरी मंजिल, पीछे की ओर, गुरुग्राम, हरियामा-122016, भारत पर है

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''हरियाणा राज्य'' से ''तमिलनाडु राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए 03.12.2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक/असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन का सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, दसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003, दुरभाष : 011-24366038, फैक्स : 011-24366039 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा : आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से.

इंजेटीम पॉवर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

सुखविन्दर पाल सिंह, निदेशक, (डीआईएन : 07623863), [पता : फ्लैट नं. 3030, डोर नं. : 3080, सेक्टर बी-4, वसन्त कंज, नई दिल्ली, नई दिल्ली जिला, तिथि : 22.12.2020

Place: Mumbai

Date: 28.12.2020

KIRTI INVESTMENTS LIMITED CIN: L99999MH1974PLC017826

Regd Office: 202, 2nd Floor A- Wing, Bldg. No.3, SIR M.V. Road, Rahul Mittal Industrial Estate, Andheri East Mumbai - 400059 E-mail: kilmumbai@gmail.com; Website: www.kirtiinvestments.in

NOTICE

The Members of M/s, Kirtí Investments Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Regulation 6(a), 7 and other applicable Regulations of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, and such other applicable laws, rules, regulations and guidelines, as may be applicable, the Board of Directors at its meeting held on December 28, 2020 has considered & approved voluntary delisting of equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited where no exit opportunity needs to be given to the public shareholders and continues to remain listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited which has nationwide trading terminals. The Company being listed on the Calcutta Stock Exchange Limited, there is no trading in the shares of the Company since past several years. Thus, there is no benefit of liquidity available to the shareholders of the Company. The Company incurs significant cost every year towards listing fee and other statutory compliances.

The Board of Directors, consider that it would be convenient for the Company to remain listed only on Metropolitan Stock Exchange of India Limited as 1,01,40,000 equity shares of Rs.5/- each, representing 46.09% of the paid-up equity share capital of the Company are held by public shareholders comprising of 127 public shareholders. The Board of Directors, therefore, also considers that it would be in the best interest of the

Company, its shareholders and trade associates to delist the equity shares of the Company from CSE and to remain listed on Metropolitan Stock Exchange of India For and on Behalf of the Board of Directors of Kirti Investments Limited

Vijay Kumar Puranmal Khowala Director DIN: 00377686

इण्डियन ओवरसीज बैंक INDIAN OVERSEAS BANK अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम s(6) के प्रावधानों के अंतर्गत]

तिथि: 28 दिसम्बर, 2020

स्थानः दिल्ली

यमुना विहार शाखा बी-3/48 ए, यमुना विहार, नई दिल्ली-110053 फोन: 011-22919080/ 22919077, ईमेल: iob2249@iob.in

प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली. 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सचना एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक

के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। ऋणधारकों का नाम दोनों सम्पत्ति का नीलामी की तिथि इंडियन ओवरसीज बैंक को अचल सम्पत्ति का विवरण कब्जा का सं. आरक्षित मूल्य गारन्टरों का नाम जात अधिभार, यदि कोई हो धरोहर राशि ईएमडी जमा करने की तिथि 1. 1. जीतेन्द्र सिंह रु. 1988523.52 (रुपए उन्नीस ए-121, 3रा तल, खसरा नं. 572, विष्णु एन्क्लेव, ग्राम हरसौन ए रु. 2030000/ 30.01.2021

जहाँ भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 (1ए) के अंतर्गत 0.75% कर शामिल है।

तैईस एवं पैसे बावन मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाईट अर्थात www.iob.in (https://www.iob.in/TenderDetails.aspx? Tendertype=E-Auction] में दी गई लिंक या https://ibapi.in देखें।

लाख अठासी हजार पांच सौ बलॉक के सामने, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201001

इसे ऊपर वर्णित तिथि के ई-नीलामी के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टरों/मार्टगैजनों के लिये प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना माने।

ईएमडी को जमा करना 30.12.2020 से शुरू होगी। स्थानः नई दिल्ली. तिथि: 28.12.2020

2. रतेन्द्र सिंह

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओरसीज बैंक

₹. 2,03,000/-

29.01.2021

www.readwhere.com

टक्कर में चार की मौत

घायल हो गए। भाभर पुलिस थाने के उपनिरीक्षक प्रवीण अहीर ने बताया कि घटना